an>

Title: Need to provide compensation to the kin of victims of wild animals menace in Tonk-Sawai Madhopur Parliamentary Constituency in Rajasthan.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक -सवाई माधोपुर में रणथम्भौर के आसपास के लगभग 50 गांवों में जंगली जानवर नीलगाय का आक्रमण काफी बढ़ गया है जिससे लोगों की लगभग 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है और जंगली जानवरों से लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। कई बार जंगली जानवर यहाँ के पशुओं और बच्चों को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। अभी दो दिन पहले ही जंगली जानवर शेर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार जंगली जानवरों से मरने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपये देती है। दो लाख रुपये से गरीब आदमी की कुछ भी भरपाई नहीं होती। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार उनको दस लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करे और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को कांटेदार तार लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करे जो कि पहले भी सरकार द्वारा लागू थी परंतु अब नहीं है। पानी के पाइपों पर गवर्नमैंट सब्सिडी दे रही है लेकिन कांटे वाली तार पर सब्सिडी नहीं दे रही है। यदि ऐसा कर दिया जाए कि कांटेदार तार पर 80 परसेंट सब्सिडी गवर्नमैंट दे और 20 परसेंट ज़मींदार दे, तो उनकी फसल बच जाएगी और वे बेचारे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।